(61)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 2312–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 198/अपील/2014–15.

.....

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर
द्वारा प्रभारी अधिकारी एवं एस0डी0ओ0(राजस्व)
मंदसौर म0प्र0

..... आवेदक

**विरूद्ध**

1–आंजना कंन्सट्रक्शन, केसुंदा, तह.एवं
जिला चित्तोडगढ द्वारा मुख्त्यारआम रामलाल
आंजना पिता रतनलाल आंजना नि0बसाड तहसील
व जिला प्रतापगढ राजस्थान
2–परिसमापक अधिकारी, दि जीवाजीराव शुगर मिल,
क0लि0दलौदा, जिला मंदसौर
3–अनिल कुमार गुप्ता पिता लालदलेलसिंह
निवासी उपजेल के सामने मंदसौर जिला मंदसौर
4–महेन्द्र कुमार पिता रूपचन्द्र जैन
निवासी धुन्धडका तहसील मंदसौर
5–सोहनलाल सुराना पिता नानालाल सुराना
निवासी महू नीमच रोड दालौदा चौपाटी जिला मंदसौर
6–श्री इस्लामुददीन अंसारी पिता श्री अब्दुल खलील
निवासी महू नीमच रोड दालौदा चौपाटी जिला मंदसौर
7–श्री शिशिर पटवा पिता श्री शांतिलाल पटवा
निवासी महू नीमच रोड दालौदा चौपाटी जिला मंदसौर

.....अनावेदकगण

.....

श्री राजीव गौतम, अभिभाषक– आवेदक

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

श्री हस्तीमल भटेवरा एवं श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषकगण–आपत्तिकर्ता

.....

# :: आ दे श ::

( आज दिनांक 12/1/2017 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय विलीप सेवाये विभाग(बैंकिग प्रमाण) अग्रिम ऋण वसूली अधिकरण 797–II शांतिकुंज साउथ सिविल लाईन जबलपुर द्वारा DRT/जबलपुर/कोर्ट/2010/1538 दिनांक 11–6–2010 द्वारा तहसीलदार दलौदा को पत्र प्रेषित कर मेसर्स आंजना कंस्ट्रक्शन अनावेदक कमांक 1 के नाम का नामान्तरण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया था और उक्त पत्र के अनुसार सेल सर्टिफिकेट जारी किये गये और सेल सर्टिफिकेट के आधार पर ग्राम धुंधडका स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 1646 से 1651 सर्वे नम्बर 1659, 1664, 1727, 1730, 1752 से 1763 कुल रकबा 42.660 हेक्टेयर एवं सर्वे नं. 210, 216, 217, 920 रकबा 5.780 स्थित ग्राम बानीखेडी जिला मंदसौर एवं सर्वे नम्बर 1333 कुल रकबा 21.813 हेक्टैयर स्थित ग्राम दलौदा जिला मंदसौर की भूमि पर सेल सर्टिफिकेट कमांक 7/10.8/10.9/10.10/10 एवं 11/11 दिनांक 1–2–2010 के आधार पर अनावेदक कमांक 1 ने उपरोक्त भूमि का नामान्तरण अनावेदक कमांक 1 के नाम से किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ तहसीलदार तहसील दलौदा जिला मंदसौर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 109/अ–6/2009–10 पर पंजीबद्ध किया जाकर उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–8–2012 को अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 08/अपील/2012–13 पर अनावेदक कमांक 1 विरूद्ध परिसामयक अधिकारी पर दर्ज की जाकर उक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–9–14 को

आदेश पारित कर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–1–2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर नियमानुसार नामान्तरण किया जावे । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि तत्कालीन ग्वालियर राज्य द्वारा शुगर फैक्ट्री के लिये दी गई थी और वर्तमान में शुगर फैक्ट्री बंद है इसलिये प्रश्नाधीन भूमि शासन की भूमि है । इसी कारण तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण नहीं करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण करने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि तीन माह में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण किया जाये । अतः उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा नामान्तरण का आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि सरफेसाई एक्ट के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि शासन द्वारा किसानों से अधिग्रहित कर कम्पनी को दी गई है और किसानों को मुआवजा कंपनी के द्वारा ही दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि रिकवरी एवं नीलामी की कार्यवाहियों में आपत्तिकर्ताओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है जिसका विधिवत् निराकरण सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया है और यदि नीलामी

की कार्यवाही में आपत्तिकर्ताओं को कोई आपत्ति तब उन्हें सक्षम न्यायालय से नीलामी की कार्यवाही निरस्त करना चाहिये ।

5/ आपत्तिकर्ताओं के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नीलामी की कार्यवाही से पहले ही आपत्तिकर्ताओं द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विकय पत्र से क्रय कर ली गई है, अतः जितनी भूमि आपत्तिकर्ताओं द्वारा क्रय की गई है उस पर आपत्तिकर्ताओं का नामान्तरण किया जाये और शेष भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण करने के निर्देश दिये गये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आपत्तिकर्ता द्वारा कय की गई भूमि को गिरवी रख दिया गया है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ताओं द्वारा तहसीलदार के समक्ष भी इस आशय की आपत्ति ली गई है कि प्रश्नाधीन भूमि में से कुछ भूमि उनके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और उनके पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित हुआ है, इसलिये प्रथमदृष्टया प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ताओं को जो कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है एवं जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि उनके पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निष्पादित पंजीकृत विकय पत्र है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देना चाहिये था जो कि नहीं दिया गया है । इस प्रकरण में यह भी विचारणीय बिन्दु है कि आपत्तिकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रकरण कमांक 535/2012 प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29–7–2016 को स्थगन दिया गया है । स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ताओं को उनका पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आपत्तिकर्ताओं सहित माननीय उच्च न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित पक्षकारों एवं सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण में विधिसंगत आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर